

न्यूज़ टुडे

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI: Global Hunger Index) 2020 में भारत का प्रदर्शन निम्नस्तरीय रहा है

- GHI वस्तुतः वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी के व्यापक मापन और निगरानी का एक साधन है। इसके तहत अंकों (स्कोर) के निर्धारण हेतु चार मापदंडों का उपयोग किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)
 - GHI को कंसर्न वर्ल्डवाइड (Concern Worldwide) (एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन) और वेल्ट हंगर हिल्फे (Welt Hunger Hilfe) (जर्मनी का एक निजी सहायता संगठन) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
 - इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष:
 - विश्व में लगभग 690 मिलियन लोग कुपोषित हैं: 144 मिलियन बच्चे टिगनेपन (stunting) से ग्रसित हैं और 47 मिलियन बच्चे दुबलेपन (wasting) से पीड़ित हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में, 5.3 मिलियन बच्चों की मृत्यु उनकी पाँच वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही हो गई थी।
 - सहारा मरुस्थल (अफ्रीका) के दक्षिणी क्षेत्रों तथा दक्षिण एशिया में भुखमरी और कुपोषण का स्तर सर्वाधिक है। इन क्षेत्रों में स्थित 3 देशों, यथा— चाड, तिमोर-लेस्ते और मेडागास्कर में भुखमरी का स्तर अत्यंत गंभीर है।
 - भारत इस सूचकांक में शामिल 107 देशों में से 94वें स्थान पर है। साथ ही, बांग्लादेश (75) और पाकिस्तान (88) जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भी भारत निम्न स्थान पर है। 27.2 के स्कोर के साथ, भारत भुखमरी के मामले में 'गंभीर' स्थिति में है।
 - भारत में दुबलेपन से ग्रसित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। वर्ष 2015-19 की अवधि में यह स्थिति और गंभीर हो गई थी। ज्ञातव्य है कि बच्चों में दुबलेपन का प्रतिशत वर्ष 2010-14 के 15.1% की तुलना में वर्ष 2015-19 की अवधि में बढ़कर 17.5% हो गया था।
 - भारत की 14% जनसंख्या अल्पपोषित है।

COMPOSITION OF THE GLOBAL HUNGER INDEX

GHI COMPOSITION 3 dimensions 4 indicators

INADEQUATE FOOD SUPPLY UNDERNOURISHMENT 1/3

- Measures inadequate food supply, and important indicator of hunger
- Refers to the entire population, both children and adults
- Used as a lead indicator for international hunger targets, including the SDGs

- Improves the GHI's ability to reflect micronutrient deficiencies
- Wasting and stunting only partially capture the mortality risk of undernutrition

CHILD MORTALITY UNDER-FIVE MORTALITY RATE 1/3

- Death is the most serious consequence of hunger, and children are the most vulnerable

CHILD UNDERNUTRITION 1/3

WASTING 1/6 | STUNTING 1/6

- Goes beyond calories availability, considers aspects of diet quality and utilization
- Children care particularly vulnerable to nutritional deficiencies
- Is sensitive to uneven distribution of food within the household
- Stunting and wasting are nutrition indicators for the SDGs

GHI Severity Scale				
<9.9 Low	10.0-19.9 moderate	20.0-14.9 serious	35.0-49.9 alarming	>50.0 extremely alarming

हाल ही में हुए एक नए शोध में मिल्की वे आकाशगंगा में तारों के निर्माण की प्रक्रिया में हो रही गिरावट को रेखांकित किया गया है

- आकाशगंगाएं अधिकांशतः गैस और तारों से निर्मित होती हैं। इसमें आकाशगंगा की अस्तित्व अवधि के दौरान गैस, तारों में परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए आकाशगंगाओं को समझने के लिए यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि गैस और तारे दोनों की मात्राएं समय के साथ कैसे परिवर्तित होती हैं।
 - आकाशगंगाओं में तारों के निर्माण की प्रक्रिया लगभग 8-10 बिलियन वर्ष पूर्व अपने चरम पर थी, परन्तु वर्तमान में इस प्रक्रिया में निरंतर गिरावट जारी है।
 - इस गिरावट का कारण अज्ञात था, क्योंकि आरंभिक दौर में आकाशगंगाओं में परमाण्विक हाइड्रोजन गैस (तारे के निर्माण के लिए प्राथमिक ईंधन) की मात्रा के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी।
- हाल ही में, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) और रमन अनुसंधान संस्थान के खगोलविदों द्वारा आकाशगंगाओं का निर्माण करने वाले तारों की परमाण्विक हाइड्रोजन गैस की मात्रा का मापन किया गया है।
 - इन आरंभिक आकाशगंगाओं में तारों के निर्माण की तीव्र गतिविधि को देखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि आकाशगंगाओं की परमाण्विक गैसों केवल एक या दो बिलियन वर्षों में ही तारों की निर्माण प्रक्रियाओं में प्रयुक्त हो जाएंगी।
 - इसके अतिरिक्त, यदि आकाशगंगाएं गैस उपलब्धता को बनाए रखने में विफल रहती हैं, तो उनकी तारा निर्माण प्रक्रिया में गिरावट आएगी तथा यह गतिविधि अंततः समाप्त हो जाएगी।
- परमाण्विक हाइड्रोजन गैस की मात्रा का मापन जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (Giant Meterwave Radio Telescope: GMRT) का उपयोग करके किया गया था। इसे खगोलभौतिकीय समस्याओं (निकटवर्ती सौर मंडल से लेकर अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के छोर तक) की निगरानी के लिए NCRA द्वारा स्थापित किया गया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत वर्ष 2022 तक ट्रांस-फैट मुक्त (trans-fat free) होने की दिशा में अग्रसर है

- वर्तमान में भारतीय विनियमन के तहत खाद्य-पदार्थों में 5% तक ही ट्रांस-फैट के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि, भारतीय खाद्य संस्का और मानक प्राधिकरण (FSSAI) इसे चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022 तक 2% से भी कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
 - वर्ष 2018 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैटी एसिड (trans-fatty acids) को समाप्त करने हेतु चरणबद्ध निर्देशिका "रिप्लेस (REPLACE)" नामक एक पहल को प्रारम्भ किया था।
- ट्रांस-फैट के बारे में:
 - यह आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों, पके हुए और तले हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद एक खाद्य-विषाक्त पदार्थ है। यह भारत में गैर-संचारी रोगों में वृद्धि हेतु एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। इसके 2 प्रकार होते हैं:
 - ❖ प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ट्रांस फैट: यह कुछ पशुओं की आंतों में और पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों (जैसे— दूध एवं मांस उत्पादों) में विद्यमान होती है।
 - ❖ कृत्रिम ट्रांस फैट (या ट्रांस फैटी एसिड): इसे एक औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किया जाता है। इसके लिए, तरल वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकृत किया जाता है, ताकि उन्हें अधिक ठोस बनाया जा सके और खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। यह तेलों और खाद्य पदार्थों के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और उनके स्वाद को बनाए रखने में सहायक होती है।

रिप्लेस (REPLACE) पहल के तहत छह रणनीतिक कार्रवाईयों का प्रावधान किया गया है, यथा—

- औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के आहार स्रोतों और आवश्यक नीति परिवर्तन के लिए परिदृश्यों की समीक्षा (Review) करना।
- औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के स्वास्थ्यकर वसा और तेलों के उपयोग द्वारा प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना।
- औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम आधारित अथवा विनियामक प्रक्रिया की स्थापना करना।
- खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट की मात्रा का मूल्यांकन तथा निगरानी और जनसंख्या में ट्रांस-फैट के खपत-स्वरूप में परिवर्तन करना।
- नीति निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और लोगों के मध्य ट्रांस फैट के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजित करना।
- नीतियों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित (Enforce compliance) करना।

लैंसेट द्वारा जारी रिपोर्ट "ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज" (GBD) के अनुसार गैर-संचारी रोग (NCD) अल्प आयु में होने वाली मृत्यु से भी बड़ी समस्या है

- इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:
 - गैर-संचारी रोग (Non-communicable diseases: NCD) के कारण होने वाली निःशक्तता और चोटें, रोगों की बढ़ती वैश्विक समस्या में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं।
 - संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में अधिक गिरावट हुई है।
 - भारत से संबंधित निष्कर्ष:
 - ❖ वर्ष 2019 में भारत में वायु प्रदूषण, उच्च रक्तचाप, तंबाकू का सेवन, अल्प आहार और ब्लड शुगर का उच्च स्तर मृत्यु हेतु उत्तरदायी शीर्ष पांच जोखिम कारक रहे हैं।
 - ❖ गैर-संचारी रोग के बारे में:
 - गैर-संचारी रोग वस्तुतः ऐसी स्वास्थ्य अवस्था या रोग को संदर्भित करते हैं, जो संक्रामक कारकों के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं।
 - ये दीर्घावधि तक बने रहने वाले चिरकालिक रोग हैं, जो आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ज्ञातव्य है कि ये रोग प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर 71% मृत्युओं के लिए उत्तरदायी हैं।
 - ❖ शारीरिक निष्क्रियता, अस्वास्थ्यकर आहार, तंबाकू का उपयोग और मदिरा का अत्यधिक सेवन इस रोग के सृजक कारक हैं।
 - प्रमुख गैर-संचारी रोगों में हृदय रोग, कैंसर, चिरकालिक श्वसन संबंधी रोग और मधुमेह आदि शामिल हैं।
 - इन रोगों की रोकथाम हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम:
 - ❖ राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम।
 - ❖ भारत, वर्ष 2025 तक गैर-संचारी रोगों से वैश्विक स्तर पर होने वाली असायिक मृत्युओं की संख्या को 25% तक कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों और संकेतकों के साथ राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाने वाला प्रथम देश है।

भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से चुनावी बॉण्ड्स (Electoral Bonds) के विक्रय को अनुमति प्रदान की गई है

- चुनावी बॉण्ड्स वचन पत्र (promissory note) के समान होते हैं, जिसे किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी कंपनी द्वारा SBI की प्राधिकृत शाखाओं से क्रय किया जा सकता है।
- चुनावी बॉण्ड्स योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2017-18 में निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:
 - काले धन और राजनीतिक फंडिंग में नकदी के उपयोग पर अंकुश लगाना।
 - कर अपवचन (tax evasion) के उद्देश्य से गठित छद्म (फर्जी) राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करना।
 - दानकर्ता की पहचान को प्रकट न करके उसकी राजनीतिक उत्पीड़न से रक्षा करना।
- चुनावी बॉण्ड्स से संबंधित मुद्दे:
 - कॉर्पोरेट्स द्वारा इसके दुरुपयोग की संभावना, क्योंकि यह राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा दिए गए दान पर कोई सीमा आरोपित नहीं करता है। साथ ही, संबंधित जानकारी/सूचना के प्रकटीकरण की आवश्यकता को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।
 - राजनीतिक फंडिंग के मामले में एक समान नियमों का अभाव है, क्योंकि इसमें चुनावी बॉण्ड्स से प्राप्त लाभ केवल कुछ राजनीतिक दलों तक ही सीमित हैं।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी बॉण्ड्स के संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विपरीत मत प्रस्तुत किए गए हैं।
 - केंद्र: राजनीतिक फंडिंग में अनामिकता (anonymity) "राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन और दान में पारदर्शिता को बढ़ावा देगी"।
 - निर्वाचन आयोग: यह "पारदर्शिता को सीमित करेगी" और "शेल कंपनियों (shell companies) के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के लिए काले धन के उपयोग" को प्रोत्साहित करेगी।

POLITICAL FUNDING CLEAN-UP

- **What Is An Electoral Bond**
 - An interest-free financial instrument for making anonymous donations to political parties; resembles a promissory note
- **Who May Purchase These Bonds**
 - A Citizen of India or a body incorporated in the country
- **Bond Denominations**
 - ₹1000, ₹10000, ₹100000, ₹1 million, ₹10 million: can be purchased from selected branches of SBI
- **When May Such Bonds Be Bought**
 - Available for purchase for 10 days each in January, April, July, & October
- **Lifespan**
 - Redeemable in the designated account of a registered political party within 15 days since issuance
- **Which Political Parties Are Eligible To Receive Donations Through Electoral Bonds?**
 - Political parties who have at least secured 1% votes in the last Lok Sabha or state assembly elections and are registered under Section 29A of the Representation of the People's Act, 1951

अन्य सुर्खियाँ

लोकुर समिति (Lokur committee)	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया है। यह समिति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) दिल्ली में फसल कटने के पश्चात् कृषि अवशेषों (पराली) के दहन पर लागू प्रतिबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी। ○ इस समिति की नियुक्ति का उद्देश्य विभिन्न प्राधिकारियों की गतिविधियों/प्रयासों को सुविधाजनक बनाना तथा उनका समन्वय करना है, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।
सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (Collective Security Treaty Organization: CSTO)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह रूस के नेतृत्व में कार्यरत एक सैन्य गठबंधन है, जो बाह्य आक्रमण का सामना करने वाले किसी भी सदस्य की सामूहिक रक्षा (समूह के अन्य सदस्यों द्वारा सुरक्षा) को सुनिश्चित करता है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है कि एक सहयोगी के विरुद्ध किसी आक्रमण को सभी सहयोगी राष्ट्रों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। ○ इस संधि की उत्पत्ति सामूहिक सुरक्षा संधि (Collective Security Treaty) के निष्कर्षों से हुई है, जिसे वर्ष 1992 में ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) में हस्ताक्षरित किया गया था। ○ इसके सदस्य हैं: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस और ताजिकिस्तान।
जैवोपचार (Bioremediation)	<ul style="list-style-type: none"> ○ जैवोपचार एक ऐसी प्रक्रिया है, जो पर्यावरण के भीतर मौजूद प्रदूषकों को उनकी मूल अवस्था से हटाने और उन्हें निष्पत्ती बनाने के लिए सूक्ष्मजीवों या उनके एंजाइमों का उपयोग करती है। ○ राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने समुद्री सूक्ष्म जीवों और गेहूँ के चोकर (wheat bran) के मिश्रण के उपयोग से एक पर्यावरण-अनुकूल व अशोधित तेल आधारित जैवोपचारण क्रियाविधि तकनीक विकसित की है। ○ हाइड्रोकार्बन का निम्नीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया जीवित रहने के लिए हाइड्रोकार्बन पर निर्भर नहीं होते हैं। हालांकि, उनका एक चयापचयी तंत्र होता है, जहां वे कार्बन और ऊर्जा स्रोत के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग करते हैं तथा इस प्रकार, तेल के प्रसार (oil spills) को रोकने में सहायक होते हैं।
शीथ ब्लाइट रोग (Sheath blight disease)	<ul style="list-style-type: none"> ○ शीथ ब्लाइट 'राइजोक्टोनिया सोलानी' (Rhizoctonia Solani) के कारण उत्पन्न होने वाला एक कवक रोग है। इससे संक्रमित पत्तियां जीर्ण हो जाती हैं या सूख जाती हैं और शीघ्र ही मृतप्राय हो जाती हैं, जिससे उपज में गिरावट होती है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ शीथ ब्लाइट रोग वस्तुतः उच्च तापमान (28-32°C), नाइट्रोजन उर्वरक के उच्च स्तर और फसल आच्छादन (crop canopy) की 85 से 100% सापेक्ष आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। ➢ वर्षा-ऋतु के दौरान पौधे शीथ ब्लाइट के प्रति अधिक सुभेद्य हो जाते हैं। ○ राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (National Institute of Plant Genome Research: NIPGR) के एक हालिया अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि रोगजनक के कार्यों को संशोधित करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
कला संस्कृति विकास योजना {Kala Sanskriti Vikas Yojana (KSVY)}	<ul style="list-style-type: none"> ○ संस्कृति मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना KSVY के विभिन्न योजना घटकों के तहत आभासी/ऑनलाइन मोड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियों को आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। <ul style="list-style-type: none"> ➢ KSVY एक छत्रक (umbrella scheme) योजना है, जिसे देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु प्रारम्भ किया गया है। ➢ KSVY में निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं, जिनके माध्यम से सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: <ul style="list-style-type: none"> ❖ कला और संस्कृति के संवर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता योजना (Scheme of Financial Assistance for Promotion of Art and Culture)। ❖ सांस्कृतिक अवसंरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता योजना (Scheme of Financial Assistance for Creation of Cultural Infrastructure)। ❖ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए योजना (Scheme for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage)।
बाबा बंदा सिंह बहादुर (वर्ष 1670- 1716)	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाल ही में, प्रधान मंत्री ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की 350वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ○ उनका जन्म एक मिन्हास राजपूत परिवार में हुआ था। वे एक सिख योद्धा थे। उन्हें अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत में श्री गुरु गोबिंद सिंह से भेंट होने के पश्चात् मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किए गए संघर्ष हेतु जाना जाता है। ○ वह जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन और भूमि के वास्तविक जोतदार को स्वाभित्व अधिकार दिलाने वाले के रूप में भी प्रसिद्ध थे। ○ 1715 ई. में, बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने पराजित कर दिया था और 1716 ई. में उनकी हत्या कर दी गई थी।
जोजिला सुरंग (Zozila Tunnel)	<ul style="list-style-type: none"> ○ जोजिला सुरंग संबंधी विनिर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। यह NH-1 पर श्रीनगर घाटी और लेह (लद्दाख पठार) के मध्य सभी मौसमों में संपर्क (कनेक्टिविटी) प्रदान करेगी। ○ यह क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ○ इससे NH-1 के श्रीनगर-कारगिल-लेह खंड पर हिमस्खलन मुक्त यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यात्रा को मौजूदा 3 घंटे के स्थान पर 15 मिनट में ही तय कर लिया जाएगा।